प्रेषक,

पी0 के0 पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ : दिनांकः 31 मार्च, 2023

विषयः- E & Y LLP (अर्नस्ट एण्ड यंग एल0एल0पी0) के बिलों के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक E & Y LLP (अर्नस्ट एण्ड यंग एल0एल0पी0) के पत्र दिनांक 20.01.2023 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी-2017 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि रू0 75 करोड़ के बजट में से सेवा शुल्क प्रदान किये जाने हेतु E & Y LLP (अर्नस्ट एण्ड यंग एल0एल0पी0) को छठे एवं सातवें क्वाटर के बिलों के भुगतान हेतु रू0 34,40,442.00 (रू0 चौंतीस लाख, चालीस हजार, चार सौ बयालिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि अर्नस्ट एण्ड यंग एल0एल0पी0 को NEFT/RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि का भुगतान चेक/नकद नहीं किया जायेगा।

3- उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा। वह यह सुनिश्चित करेंगें कि भुगतान अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार किया जा रहा है।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 34,40,442.00 (रू0 चौंतीस लाख, चालीस हजार, चार सौ बयालिस मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-02-उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस- 2022-231/2022 दिनांक 07-06-2022 में उल्लिखित नियम व शर्तो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-7-2023-533(1)/63-व0उ0-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

4- अनु सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4

5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।